

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No- ३०को० /बायो अनु० - 02/19

/Agri., Patna, Dated _____, 2019

Received from M/s Nirmal Seeds Pvt. Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 327 Dated 28-11-2018 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 136

Date.....

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/S Nirmal Seeds Pvt. Ltd Style-Wholesale Dealer	C/o Sri Ram Ji Prasad Ward No. S-6, Chhoti Pahari, Shitla Mandir Road, Agamkuan, Near- Chura Mill, P.O- Gulzarbagh, Patna-7	C/o Sri Ram Ji Prasad Ward No. S-6, Chhoti Pahari, Shitla Mandir Road, Agamkuan, Near- Chura Mill, P.O- Gulzarbagh, Patna-7	1-Azospirillum 2-Rhizobium 3-Azotobaacter 4-Potash Mobilizing Bacteria (KMB) 5-Mycorrhizal	Self Manufactured Do Do.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

1-Mr. Shashi Shankar Upadhyay (Regional Manager)

M/S Nirmal Seeds Pvt. Ltd,
Bhadgaon Road, Pachora, Tal, Pachora,
Distt- Jalgaon- 424201

2-Mr. Mohan Suresh Paprikar
Jairam Society, Pachora,
Tal, Pachora,
Distt- Jalgaon- 424201

Sd/-

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

259

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक कोषांग।

पत्र संख्या- उ0को0/बायो0 अनु0- 02/2019

/कू0, पटना, दिनांक

2019

कार्यालय आदेश

- मे0 निर्मल सीड्स प्रा0 लि0 के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 136 दिनांक 02/05/2019 वैधता तिथि 01/05/2022 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-
1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
 2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
 3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
 4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
- अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 02/05/ 2019

ज्ञापांक : 295

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री किये गये उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।